

**संदर्भ:-** औपनिवेशिक शासन से लोकतांत्रिक गणराज्य तक का भारतीय इतिहास का सफर, विलक्षण उपलब्धियों में से एक है। स्वतंत्रता के पूर्व हुए इलेक्शन में 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार प्राप्त था परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने वयस्क मताधिकार को अपनाया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। इससे जुड़े बहुत से संदेह रहे परन्तु इसकी सफलता ने हम सभी को गर्व करने का अवसर प्रदान किया।

### स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव-

इस उपलब्धि के केन्द्र में नागरिकों को वोट देने का अधिकार रहा है, मताधिकार के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था की वैधता समय-समय पर नवीनीकृत की जाती है और गणतंत्र की नींव स्थिर रहती है।

यहां केवल मतदान महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के रूप में होना चाहिए, इसके लिए कई संस्थागत कारक और शर्तें मौजूद होनी चाहिए, सभी को साथ लेकर मतदान सम्पन्न किया जाना चाहिए।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने मताधिकार को सार्थक बनाने के लिए समय-समय पर अनेक दिशा-निर्देश दिए हैं।

**उदाहरण के लिए** 'नागरिकों के मताधिकार को मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मतदान संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) के तहत एक मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी है। मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत एक संवैधानिक अधिकार है। साथ ही उम्मीदवारों के द्वारा कुछ जानकारी की अनिवार्य घोषणा की आवश्यकता तथा गुप्त मतदान के अधिकार (जिसमें NOTA का प्रावधान भी शामिल है) को न्यायालय के दिशानिर्देश में शामिल किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास गणतंत्रात्मक लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

### न्यायिक निष्क्रियता :-

किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के तरह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी एक निष्पक्ष अंपायर की भूमिका का निर्वहन किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका राज्य के खिलाफ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अदालतों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि जो कुछ दांव पर लगा है वह लोकतंत्र की मूलभूत वैधता है।

### पहला -

इस संदर्भ में भारतीय आदलतों के आचरण से न्यायिक बयानबाजी और वास्तविकता के बीच दुर्भाग्यपूर्ण अंतर का पता चलता है।

**उदाहरण के लिए** चुनावी बांड योजना राजनीतिक दलों को अधिक गुप्त दान की अनुमति देता है। इसमें पारदर्शिता की कमी को लेकर चुनौति दी गई थी। परन्तु चुनाव के पहले समय की कमी का हवाला देकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया गया।

### दूसरा -

गुप्त मतदान - राजनीतिक दल अब व्यक्तिगत बूथों के स्तर पर मतदान के परिणामों को निर्धारित करने में सक्षम है। यह गुप्त मतदान की अवधारणा को नष्ट करता है।

### तीसरा -

कुछ मतदाताओं की शिकायत रही है कि उनका नाम मतदाता सूची से बिना किसी सूचना या सुनवाई के हटा दिया गया। यह कोई नई शिकायत नहीं है। विगत वर्षों में भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष यह समस्या आती रही है जिसका कारण प्रौद्योगिकी और मानवीय खामियाँ रही हैं। इसको लेकर उच्च न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया गया परन्तु न्यायालय इस याचिका को तय करने में विफल रहा।

अंत में विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की जो EVM के साथ मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों के 50% सत्यापन का था। उच्च न्यायालय का कहना था कि इससे मतगणना का समय छह दिन बढ़ जाएगा। हांलाकि आम चुनाव 7 चरणों में महीने, डेढ़ महीने में सम्पन्न हो रहा है, इसलिए आम चुनाव के संदर्भ में यह छह दिन एक छोटी कीमत थी। बहरहाल न्यायालय ने ईवीएम सत्यापन को एक से बढ़ाकर पांच कर दिया है।

अनेक अवसरों और कई वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय लोकतंत्र की गौरवगाथा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्व और मतदान की सर्वोच्च पवित्रता के बारे में वाक्पटुता व्यक्त की है। हमारा लोकतंत्र एक वास्तविक उपलब्धि है जो गर्व करने योग्य है। मतदाता का अधिकार, गुप्त मतदान और स्वयं को मतदान की स्वतंत्रता-इन सभी मुद्दों को पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न तरीके से कम करके आंका गया है। लेकिन अनेक अवसरों पर न्यायालय को इन समस्याओं के समाधान के लिए बुलाया जाता है, तो न्यायालय समस्याओं को हल करने के बजाए सुन्दर बयानबाजी और वक्पटुता द्वारा संदर्भों को यदा-कदा टाल देता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

भारत जैसे विशाल और विविध राष्ट्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सर्वदा चुनौतिपूर्ण रहा है, परन्तु भारतीय निर्वाचन आयोग ने 70 वर्षों में एक अद्वितीय बेंच मार्क प्रस्तुत किया है। क्या न्यायिक निष्क्रियता या सक्रियता भारतीय निर्वाचन आयोग की क्षमताओं को प्रभावित करता है? उपर्युक्त कथन के संदर्भ में विवेचन कीजिए-

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न -

चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

इनमें से कौन सा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है?

- 1- लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न कराना।
- 2- राजनीतिक दलों की स्थापना को मंजूरी।
- 3- संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्णय उसकी विवेक शक्ति का उपयोग करना।
- 4- राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना।

- (a) केवल 1                      (b) 1, 2 और 3  
(c) 2, 3 और 4                (d) केवल 3 और 4